वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

पत्रांकः–22 / पू0वि0वि0 / रा0से0यो0 / 2023–24

दिनांकः–25.07.2023

सेवा में,

समस्त प्राचार्य / कार्यक्रम अधिकारी(रा0से0यो0),
सम्बद्ध महाविद्यालय–वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय,
जौनपुर।

विषयः राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2020–21 व 2021–22 की सम्परीक्षा(आडिट) हेतु अभिलेख प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

उपर्युक्त विषयक सहायक लेखा सम्परीक्षा अधिकारी, शिविर कार्यालय–वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर पत्र संख्या–81, दिनांकः 22.07.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि अधिकांश महाविद्यालयों द्वारा जिन्होने अभी तक राष्ट्रीय सेवा योजना सत्र–2020–21 व 2021–22 में आयोजित सामान्य कार्यक्रम व विशेष शिविर हेतु विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय के संबंधित खातों में अवमुक्त अनुदान की सम्परीक्षा हेतु अभिलेख **(यथा–कैशबुक, डाक रजिस्टर, स्टाक रजिस्टर, आगन्तुक रजिस्टर, इकाईवार सामान्य व विशेष शिविर में उपस्थित स्वयंसेवको की उपस्थिति पंजिका, बैंक पासबुक, बिल व्यय–वाउचर, आयोजित कार्यक्रम से संबंधित स्पाईरल वाईन्डिंग रिपोर्ट इत्यादि)** प्रस्तुत नहीं किया गया है। जबकि इस सम्बन्ध में कार्यालय द्वारा बार–बार दूरभाष एवं कार्यालय के पत्रांकः–09 / पू0वि0वि0 / रा0से0यो0 / 2023–24, दिनांकः–03.05.2023, पत्र संख्या–20 / पू0वि0वि0 / रा0से0यो0 / 2021–22 दिनांकः 26.06.2021, पत्र पत्रांकः 96 / पू0वि0वि0 / रा0से0यो0 / 2020–21, दिनांकः06.01.2021 एवं पत्र संख्या–72 / पू0वि0वि0 / रा0से0यो0 / 2022–23 दिनांकः 27.08.2022 द्वारा उक्त समस्त अभिलेख (सहायक सम्परीक्षा अधिकारी, **मो0 नं0–9169161212, 9118551164** पर सम्पर्क करते हुए) सम्परीक्षा हेतु प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। यहां यह भी सूचित करना है कि जिन संस्थाओं द्वारा विगत सत्र 2020–21 से पूर्व सत्र में राष्ट्रीय सेवा योजना अभिलेखों की सम्परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया है उन्हें विगत उस सत्र से 2021–22 तक सम्परीक्षा करायी जानी है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि विगत सत्र–2018–19 में शासन द्वारा प्रतिपूर्ति अनुदान सत्र–2022–23 में प्राप्त हो चुका है और रा0से0यो0 सामान्य / विशेष शिविर कार्यक्रम के आयोजन पर व्यय महाविद्यालय / संस्था द्वारा अपने स्रोत से अनुदान प्रतिपूर्ति की प्रत्याशा में किया गया है। अतः व्यय की गयी धनराशि का आडिट होना आवश्यक है। जिन महाविद्यालयों द्वारा सम्परीक्षा नहीं करायी जायेगी उन्हें प्रतिपूर्ति अनुदान अवमुक्त किया जाना सम्भव नहीं होगा।

अतः उक्त वस्तु–स्थिति से अवगत होते हुए कृपया सहायक लेखा सम्परीक्षा अधिकारी, शिविर कार्यालय–वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर के **मो0 नं0–9169161212, 9118551164** पर सम्पर्क करते हुए **एक सप्ताह के अन्दर** अभिलेख प्रस्तुत करते हुए सम्परीक्षा यथाशीघ्र करा लें, अन्यथा की स्थिति में सत्र 2018–19 शासन द्वारा प्राप्त प्रतिपूर्ति अनुदान नही भेजी जायेगी और सम्परीक्षा अधिकारी द्वारा की गयी कार्यवाही के लिए स्वयं जिम्मेदार होगें।

भवदीय

डॉ0 (राज बहादुर यादव)
कार्यक्रम समन्वयक

प्रतिलिपिः–

1. सहायक सम्परीक्षा अधिकारी, शिविर कार्यालय–वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।(**मो0 नं0–9169161212, 9118551164**)
2. निजी सचिव कुलपति, मा0 कुलपति जी वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर के संज्ञानार्थ।
3. निजी सचिव कुलपति, मा0 कुलपति जी महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़ के संज्ञानार्थ।
4. वरिष्ठ आशुलिपिक वित्त अधिकारी, वित्त अधिकारी जी के सूचनार्थ।
5. प्रभारी, विश्वविद्यालय वेवसाइट को इस आशय से प्रेषित कि उक्त पत्र को रा0से0यो0 के वेवसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

डॉ0 (राज बहादुर यादव)
कार्यक्रम समन्वयक

राष्ट्रीय सेवा योजना
वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

पत्रांकः–22 / पू0वि0वि0 / रा0से0यो0 / 2023–24

दिनांकः–25.07.2023

सेवा में,

समस्त प्राचार्य / कार्यक्रम अधिकारी(रा0से0यो0),
सम्बद्ध महाविद्यालय–वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय,
जौनपुर।

विषयः राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2020–21 व 2021–22 की सम्परीक्षा(आडिट) हेतु अभिलेख प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

उपर्युक्त विषयक सहायक लेखा सम्परीक्षा अधिकारी, शिविर कार्यालय–वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर पत्र संख्या–81, दिनांकः 22.07.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि अधिकांश महाविद्यालयों द्वारा जिन्होने अभी तक राष्ट्रीय सेवा योजना सत्र–2020–21 व 2021–22 में आयोजित सामान्य कार्यक्रम व विशेष शिविर हेतु विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय के संबंधित खातों में अवमुक्त अनुदान की सम्परीक्षा हेतु अभिलेख **(यथा–कैशबुक, डाक रजिस्टर, स्टाक रजिस्टर, आगन्तुक रजिस्टर, इकाईवार सामान्य व विशेष शिविर में उपस्थित स्वयंसेवको की उपस्थिति पंजिका, बैंक पासबुक, बिल व्यय–वाउचर, आयोजित कार्यक्रम से संबंधित स्पाईरल वाईन्डिंग रिपोर्ट इत्यादि)** प्रस्तुत नहीं किया गया है। जबकि इस सम्बन्ध में कार्यालय द्वारा बार–बार दूरभाष एवं कार्यालय के पत्रांकः–09 / पू0वि0वि0 / रा0से0यो0 / 2023–24, दिनांकः–03.05.2023, पत्र संख्या–20 / पू0वि0वि0 / रा0से0यो0 / 2021–22 दिनांकः 26.06.2021, पत्र पत्रांकः 96 / पू0वि0वि0 / रा0से0यो0 / 2020–21, दिनांकः06.01.2021 एवं पत्र संख्या–72 / पू0वि0वि0 / रा0से0यो0 / 2022–23 दिनांकः 27.08.2022 द्वारा उक्त समस्त अभिलेख (सहायक सम्परीक्षा अधिकारी, **मो0 नं0–9169161212, 9118551164** पर सम्पर्क करते हुए) सम्परीक्षा हेतु प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। यहां यह भी सूचित करना है कि जिन संस्थाओं द्वारा विगत सत्र 2020–21 से पूर्व सत्र में राष्ट्रीय सेवा योजना अभिलेखों की सम्परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया है उन्हें विगत उस सत्र से 2021–22 तक सम्परीक्षा करायी जानी है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि विगत सत्र–2018–19 में **शासन द्वारा प्रतिपूर्ति अनुदान सत्र–2022–23** में प्राप्त हो चुका है और रा0से0यो0 सामान्य / विशेष शिविर कार्यक्रम के आयोजन पर व्यय महाविद्यालय / संस्था द्वारा अपने स्रोत से अनुदान प्रतिपूर्ति की प्रत्याशा में किया गया है। अतः व्यय की गयी धनराशि का आडिट होना आवश्यक है। जिन महाविद्यालयों द्वारा सम्परीक्षा नहीं करायी जायेगी उन्हें प्रतिपूर्ति अनुदान अवमुक्त किया जाना सम्भव नहीं होगा।

अतः उक्त वस्तु–स्थिति से अवगत होते हुए कृपया सहायक लेखा सम्परीक्षा अधिकारी, शिविर कार्यालय–वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर के **मो0 नं0–9169161212, 9118551164** पर सम्पर्क करते हुए **एक सप्ताह के अन्दर** अभिलेख प्रस्तुत करते हुए सम्परीक्षा यथाशीघ्र करा लें, अन्यथा की स्थिति में सत्र 2018–19 शासन द्वारा प्राप्त प्रतिपूर्ति अनुदान नही भेजी जायेगी और सम्परीक्षा अधिकारी द्वारा की गयी कार्यवाही के लिए स्वयं जिम्मेदार होगें।

भवदीय

डॉ0 (राज बहादुर यादव)
कार्यक्रम समन्वयक

प्रतिलिपिः–

1. सहायक सम्परीक्षा अधिकारी, शिविर कार्यालय–वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।(**मो0 नं0–9169161212, 9118551164**)
2. निजी सचिव कुलपति, मा0 कुलपति जी वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर के संज्ञानार्थ।
3. निजी सचिव कुलपति, मा0 कुलपति जी महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़ के संज्ञानार्थ।
4. वरिष्ठ आशुलिपिक वित्त अधिकारी, वित्त अधिकारी जी के सूचनार्थ।
5. प्रभारी, विश्वविद्यालय वेवसाइट को इस आशय से प्रेषित कि उक्त पत्र को रा0से0यो0 के वेवसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

डॉ0 (राज बहादुर यादव)
कार्यक्रम समन्वयक